Annexure – XXIII

महत्वपूर्ण / तत्काल

उत्तरांचल सूचना आयोग
सैक्टर 1, सी–10 डिफैंस कालोनी, देहरादून
दूरभाष : 0135 – 2666778, 2666779

पत्रांक : 85 / उ.सू.आ. / मु.सू.आ. / 2005 दिनांक : 23 दिसम्बर 2005

प्रेषक :

मुख्य सूचना आयुक्त
उत्तरांचल सूचना आयोग

सेवा में :

मानक सूची – 1 के अनुसार

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4(1) के अंतर्गत 12 / 10 / 05 तक तात्कालिक प्रकटन वाली सूचनाओं का प्रकाशन – प्रमुख सचिव / सचिव स्तर पर प्रत्येक विभाग के लिए विभिन्न स्तरों पर धारा 4(1) के अंतर्गत निर्धारित 17 मैनुअलों का स्वंय परीक्षण तथा उन्हें अध्यावधिक करना तथा उत्तरांचल सूचना आयोग को अवलोकन के लिए उनका एक संकलन प्रेषित करना.

प्रिय महोदय / महोदया,

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4(1) से 4(4) तक की लोक प्राधिकारियो की बाध्यता की ओर आपका ध्यानाकर्षण किया जाता है. उत्तरांचल सूचना आयोग को विभिन्न संगठनों द्वारा यह अवगत कराया गया है कि कई लोक प्राधिकारियों / विभागों द्वारा निर्धारित समयावधि के अंतर्गत अधिनियम की धारा 4(1)(ख) के 17 मैनुअलों का अभी तक प्रकाशन नहीं कराया गया है. कई मैनुअल जो प्रकाशित हुये हैं उनमें लोक प्राधिकारियों / विभागों द्वारा स्वतः प्रकट की जाने वाली सूचनाऐं आंशिक, अपूर्ण अथवा अस्पष्ट हैं.

2. कई संगठनों द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि इस संबंध में सूचना का अधिकार अधिनियम की बैबसाईट rti.nic.in में भी जो सूचनाऐं उपलब्ध करायी गयी हैं वह भी अपूर्ण हैं, विशेष रूप से विभागीय निर्देशिका, प्रत्येक अधिकारी / कर्मचारी का वास्तविक वेतन व प्राप्तियों का विवरण तथा लोक प्राधिकारी द्वारा अपने विभाग से संबंधित कानूनों, निर्देशों तथा मैनुअलों आदि का पूर्ण विवरण प्रकाशित नहीं किया गया है.

3. उत्तरांचल सूचना आयोग के उत्तरदायित्वों में एक यह भी उत्तरदायित्व दिया गया है कि वह अपने वार्षिक प्रतिवेदन में इस तथ्य का भी अंकन करे कि सूचना का अधिकार अधिनियम को विभिन्न लोक प्राधिकारियों द्वारा किस सीमा तक अनुश्रवण किया गया.

4. यह देखते हुये कि विभिन्न लोक प्राधिकारियों/विभागों द्वारा अधिनियम की धारा 4(1) में प्राविधानित बाध्यताओं को पूरा नहीं किया गया है तथा जहां पूरा किया भी गया है, वह आंशिक/अपूर्ण है, आपसे अनुरोध है कि इस परिपत्र के प्राप्त होते ही अपने स्तर निम्नलिखित कार्यवाही करें :

4.1 आपके विभाग, निदेशालय तथा निदेशालय से निम्न स्तर पर जिन जिन लोक प्राधिकारियों के लिए धारा 4(1)4(ख) में प्राविधानित 17 मैनुअलों को तैयार कर लिया गया है उसकी एक प्रति शीघ्रातिशीघ्र आयोग को प्रेषित करने का कष्ट करें,

4.2 स्वयं अपने स्तर पर तथा अपने विभाग के अधिकारियों की विशेषज्ञ टीम गठित कर तैयार किये गये 17 मैनुअलों का विस्तृत परीक्षण करा लें तथा जहां इनमें कोई कमी या त्रुटि दियाई दे, तो इसके संबंध में सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही कर बैबसाईट तथा आयोग को प्रेषित प्रति में भी तदानुसार संशोधन करने का कष्ट करें तथा

4.3 यह भी सुनिश्चित करने का कष्ट करें कि आपके लोक प्राधिकारी / विभाग के जितने भी अधीनस्थ अधिकारी है, जो क्रमशः मण्डल/निदेशालय/जनपद तथा जनपद से नीचे विद्यमान है, वहां तैयार 17 मैनुअलों की नवीनतम प्रति उपलब्ध हो जिससे कि कोई भी सामान्य व्यक्ति उन्हें अवलोकित कर सके तथा आवश्यकता पड़ने पर निर्धारित शुल्क के भुगतान पर उनकी प्रति भी प्राप्त कर सके.

5. आयोग के स्तर पर शीघ्र ही आयोग के द्वारा स्वयं अथवा विशेषज्ञों के दल के साथ धारा 4(1) के अंतर्गत प्रकाशित 17 मैनुअलों का परीक्षण कराया जायेगा तथा उसमें जो त्रुटियां, कमियां अथवा अन्य विसंगतियां हैं, उसकी ओर आपका ध्यानाकर्षण इस आशय से कराया जायेगा जिससे आपके अधीनस्थ लोक प्राधिकारियों / विभागों द्वारा तैयार की जाने वाली स्वतः प्रकटन वाली सूचनाऐं अधिनियम की भावना के अनुरूप जन सामान्य को आसानी से उपलब्ध हो सकें.

5. आयोग आपसे अपेक्षा करता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4(1) की विभागीय बाध्यताओं की ओर आपका व्यक्तिगत ध्यानाकर्षण होगा जो कि स्वयं विभागीय कार्य प्रणाली में सुधार के लिए आवश्यक है.

6. कृपया पत्र की प्राप्ति स्वीकार करने का कष्ट करें तथा आपके स्तर से की गयी कार्यवाही से आयोग को भी अवगत कराने का कष्ट करें.

भवदीय

(आर. एस. टोलिया)
मुख्य सूचना आयुक्त

प्रतिलिपि श्री नदीम उद्दीन एडवोकेट, अध्यक्ष, मौलाना अबुल कलाम आजाद अल्पसंख्यक कल्याण समिति, कोहिनूर प्रैस बिल्डिंग, अल्लीखां, पो.बा. 19, काशीपुर को उनके द्वारा उत्तरांचल सूचना आयोग को प्रेषित पत्रां 275 दिनांक 19/12/05 के क्रम में सूचनार्थ पृष्ठांकित.

(आर. एस. टोलिया)
मुख्य सूचना आयुक्त